

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल ।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ७४

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVII(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में धारा 9 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी। साथ ही स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सुगम से दुर्गम

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1.	श्रीमती भगवती अधिकारी	क०स०	रा०इ०का० कटघरिया नैनीताल	रा०इ०का० झड़गांव अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती चम्पा सुयाल	क०स०	रा०क०इ०का०दौलिया हल्द्वौड़ नैनीताल	रा०इ०का० सुन्दरखाल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3.	श्रीमती रेखा निर्मोही	क०स०	रा०इ०का० बजूनियाहल्द्वू नैनीताल	रा०इ०का० पटरानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4.	कु० ईशा बघानी	क०स०	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी	रा०बा०इ०का० रानीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5.	श्री नीरज कुमार	क०स०	रा०इ०का० हमीरावाला	रा०क०इ०का० भिक्यासैण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
6.	श्री गौरव बोरा	क०स०	रा०क०इ०का० शक्तिफार्म	रा०इ०का० नाई नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
7.	श्रीमती शीला	क०स०	रा०इ०का० बरखेड़ी काशीपुर	रा०इ०का० पाली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
8.	श्री तरुण कुमार जोशी	क०स०	रा०इ०का० बेतालघाट नैनीताल	रा०इ०का० सुनौली अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
9.	श्री चेतन जोशी	क०स०	रा०बा०इ०का० भीमताल	रा०इ०का० दूनागिरी अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
10.	श्री राजेश कुमार	क०स०	रा०इ०का० डैला नैनीताल	रा०इ०का० पाटी चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
11.	श्रीमती पुष्पा बहुगुणा	क०स०	जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा	रा०क०इ०का० बाड़ेछीना अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार नौडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०
कुमायू मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 2399-2409 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूं मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।



मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0
कुमायूं मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं0/ सेवाएँ अराज0-3ख(4)07-दो/ 75

/2022-23 दिनांक-13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं0 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं0/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं0/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद एवं वेतनमान में धारा 13 के उपधारा 3 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

अनुरोध के आधार पर

01	02	03	04	05	06
1	श्री सोहन कुमार	क0स0	रा0क0इ0का0 चोखुटिया अल्मोडा	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी लमगुड अल्मोडा पत्नी शासकीय सेवा में	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0

कुमायूँ मण्डल नैनीताल

पू0 सं0/सेवाएँ अराज0-3ख(4)07-दो/ 2410-20

/2022-23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूँ मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 कुमायूँ मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10-एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0
कुमायूँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-3ख(4)07-दो/ 76

/2022-23 दिनांक-13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVII(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद एवं वेतनमान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण धारा 13 के उपधारा 4 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

01	02	03	04	05	06
1	श्री मनोज जोशी	क०स०	रा०इ०का० खिरमाण्डे पिथौरागढ़	रा०इ०का०लालकुआ नैनीताल पत्नी गम्भीर बीमार	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/सेवाएँ अराज०-3ख(4)07-दो/ 2421-31 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायू मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायू मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10-एम०आई०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 77

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद एवं वेतनमान में अनुसूच के आधार पर स्थानान्तरण के धारा 13 के उपधारा 4 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती ममता पन्त	क०स०	रा०इ०का० सैल पिथौरागढ़	रा०इ०का० पिथौरागढ़ स्वयं गम्भीर बीमार	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 2432-41 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायू मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायू मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- एम०आई०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल ।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ७८

/2022-23 दिनांक- 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण में धारा 13 उपधारा 5 में दी गयी व्यवस्था अनुसार स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय/ कार्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1.	श्री भोपाल सिंह	क०स०	रा०इ०का० जमोली अल्मोड़ा	रा०इ०का० महुंवाखेड़ागंज उधमसिंहनगर पुत्री बीमार	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०
कुमायू मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ १५५१-५२ /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

4- आयुक्त कुमायू मण्डल ।

5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।

6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।

7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।

8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायू मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।

9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10-एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेशित कि उक्त आदेश को विभागीय बैकसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- सम्बन्धित कर्मचारी

12- आदेश सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अपर निर्देशक प्रा० शि०
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

प्रति

पर)

के प्रति

। पर)

के प्रति

प्रय पर)

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 79

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के धारा 13 उपधारा 6 में दी गयी व्यवस्था अनुसार स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय/ कार्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

क०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती मालती गोस्वामी	क०स०	रा०इ०का० बरम पिथौरागढ़	रा०इ०का० झूलाघाट पिथौरागढ़ विधवा	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
2	श्रीमती सीमा गौरव	क०स०	रा०इ०का० धनियाकोट	रा०क०इ०का० महुवाखेडा गंज उधमसिंहनगर विधवा	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
3	श्रीमती शमा परवीन	क०स०	रा०इ०का० लोहाली	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी जसपुर उधमसिंहनगर विधवा	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
4	श्रीमती लीला पाण्डे	क०स०	रा०इ०का० पाटकोट नैनीताल	रा०इ०का० राजपुरा नैनीताल विधवा	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 2453-63 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायू मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।

8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायूं मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।

9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार सृजित/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10-एम०आई०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- सम्बन्धित कर्मचारी

12- आदेश सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अधीक्षक प्रा० शि०
कुमायूं मण्डल नैनीताल

022

रि०

017

पत्र

नि०

क०

२२

क

क

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ४०

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान 21700-69100 लेबल-3 को उसी पद पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण धारा 13 उपधारा 6 में दी गयी व्यवस्था अनुसार स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय/ कार्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

अनुरोध के आधार

01	02	03	04	05	06
1	श्री प्रेम बल्लभ बहुगुणा	क०स०	रा०इ०का० कौसानी बागेश्वर	रा०इ०का० चाफी नैनीताल वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 2464-74 /2022-23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूँ मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायूँ मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- एम०आई०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल ।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ४१

/२०२२-२३ दिनांक १३ जुलाई, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० १२ XXXVI(३)/२०१८/२०(१०)/२०१७ दिनांक ०५ जनवरी २०१८, शासनादेश सं० १९५/XXIV/नवसृजित /२०१९ -३१ (०१)/२०१८ दिनांक १६ अप्रैल, २०१९, शासन का पत्र सं०/१२४/ XXX(२)-२२ ३०(१३)/२०१७ दिनांक ०८ अप्रैल, २०२२ एवं निदेशालय के पत्रांक/६६८-७५/२०२२-२३ दिनांक ११ अप्रैल, २०२२ एवं शासन के पत्र सं०/४६२८२/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-२ दिनांक ३०-६-२०२२ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान २१७००-६९१०० लेबल-३ को उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-५ में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २२ में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। दुर्गम से सुगम क्षेत्र में धारा १० में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्तम्भ ५ में अंकित विद्यालय/ कार्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। साथ ही स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा २४ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी

दुर्गम से सुगम

क०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
०१	०२	०३	०४	०५	०६
१.	श्री हरीश चन्द्र तिवारी	क०स०	रा०इ०का सैज बागेश्वर	रा०इ०का० हवालबाग अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
२.	श्री महेन्द्र कुमार	क०स०	रा०इ०का० खीड़ा	रा०इ०का० खुमाड अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
३.	श्री भुवन चन्द्र जोशी	क०स०	रा०इ०का० पीपली पिथौरागढ़	जिला शिक्षा अधिकारी मा०शि० पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
४.	श्री कैलाश चन्द्र	क०स०	रा०इ०का शेर	रा०इ०का० भिक्यासैण अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
५.	श्री रमेश चन्द्र सिंह मेहता	क०स०	रा०इ०का० सराईखेत	रा०इ०का० हरिपुर जमन सिंह नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
६.	श्री जगदीश चन्द्र	क०स०	रा०इ०का० नैनीचोखंगा अल्मोड़ा	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सल्ट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
७.	श्रीमती जया डसीला	क०स०	रा०इ०का० सेराघाट पिथौरागढ़	रा०क०इ०का० हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
८.	श्रीमती भावना तिवारी	क०स०	रा०इ०का० दन्या अल्मोड़ा	रा०इ०का० अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
९.	श्री विजय मठपाल	क०स०	रा०इ०का० मालीखेत अल्मोड़ा	कार्यालय नगर शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
१०.	श्री नवीन चन्द्र जोशी	क०स०	रा०इ०का० कौलाग बागेश्वर	रा०इ०का० फूलचौड़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
११.	श्री किशोर सिंह	क०स०	रा०क०इ०का० बेतालघाट	कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
१२.	श्री हिम्मत सिंह	क०स०	रा०इ०का० मूलाकोट चम्पावत	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी लोहाघाट चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
१३.	श्री हरीश चन्द्र सिंह	क०स०	रा०इ०का० बहुला बागेश्वर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मा०शि० बागेश्वर	रिक्त पद के प्रति

14.	श्री इन्द्र सिंह परिहार	क0स0	रा0इ0का0 तिलसारी बागेश्वर	रा0क0इ0का0 कालादूंगी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
15.	श्री पूरन सिंह बिष्ट	क0स0	रा0इ0का0 पन्तरथली अल्मोड़ा	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मा0शि0 नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार नीडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0 सं0 /सेवाएँ अराज0-3ख(4)07-दो / 2475-85 / 2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूं मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल ।

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-3ख(4)07-दो/ 82

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित वरिष्ठ सहायक वेतनमान 29200-92300 लेबल-5 को उसी पद एवं वेतनमान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण धारा 13 उपधारा 6 निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1.	श्री मोहन सिंह फर्त्याल	व०स०	रा०इ०का० पोखरी नैनीताल	कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कुमायू मण्डल नैनीताल वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
2.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय	व०स०	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० चम्पावत	रा०उ०मा०वि० पल्लों चम्पावत वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
3	श्री ललित मोहन पाण्डे	व०स०	रा०इ०का० चमदेवल चम्पावत	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी लोहाघाट चम्पावत वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
4	श्री दीवान सिंह जलाल	व०स०	रा०उ०मा०वि० महारागांव नैनीताल	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सितारगंज उधमसिंहनगर वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
5	श्री हरीश चन्द्र बिष्ट	व०स०	उ०वि०शि०परि० रामनगर	कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक मा०शि० कुमायू मण्डल नैनीताल वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)
6	श्री हरीश चन्द्र आर्या	व०स०	डायट उधमसिंहनगर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० नैनीताल वरिष्ठ कार्मिक	रिक्त पद के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार नौडियाल)


मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल

पू० रा०/सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 2486-96 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूँ मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायूँ मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूँ मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- एम्०आर्डी०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०
कुमायूँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ४३

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनादेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2)-22 30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित वरिष्ठ सहायक वेतनमान 29200-92300 लेबल-5 को उसी पद एवं वेतनमान में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के धारा 13 के उपधारा 6 निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	श्रीमती नदीमा खातून	व०स०	रा०इ०का० चमदेवल चम्पावत	रा०उ०मा०वि० सवौरा ऊधमसिंह नगर विधवा	रिक्त पद के प्रति

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०
कुमायू मण्डल नैनीताल

पृ० सं०/सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ 2497-2507 /2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायू मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायू मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- एम०आई०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैक्सईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०
कुमायू मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-3ख(4)07-दो/ 84

/2022-23 दिनांक 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० 12 XXXVI(3)/2018/20(10)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018, शासनदेश सं० 195/XXIV/नवसृजित /2019 -31 (01)/2018 दिनांक 16 अप्रैल, 2019, शासन का पत्र सं०/124/ XXX(2) 22 20(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं निदेशालय के पत्रांक/668-75/2022-23 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 एवं शासन के पत्र सं०/46282/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-6-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निर्माकित दीर्घ सहायक वेतनमान 29200-92300 लेबल-5 को उसी पद एवं वेतनमान में निर्माकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। दुर्गम से सुगम क्षेत्र में धारा 10 में दी गयी व्यवस्था अनुसार स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय/ कार्यालय में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे। साथ ही स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अव्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1.	श्री जीवन नाथ	व०स०	रा०उ०मा०वि० धूनाघाट चम्पावत	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
2.	श्री बिशन राम आर्या	व०स०	रा०इ०का० चौकुनी अल्मोड़ा	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी द्वाराहाट अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
3.	श्री सुरेश चन्द्र सिंह बोरा	व०स०	रा०उ०मा०वि० बेड़चूला नैनीताल	रा०क०उ०मा०वि० फूलचौड़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4.	श्री खड़क सिंह	व०स०	रा०उ०मा०वि० द्योलीबगड़ अल्मोड़ा	कार्यालय नगर शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
5.	श्री शेर सिंह	व०स०	खण्ड शिक्षा अधिकारी कपकोट बागेश्वर	जिला शिक्षा अधिकारी मा०शि० अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
6.	श्री कुबेर सिंह नेगी	व०स०	रा०इ०का० झिमाड़ अल्मोड़ा	रा०इ०का० मोहान नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
7.	श्री हरीश चन्द्र पंत	व०स०	रा०उ०मा०वि० पनघट अल्मोड़ा	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी हवालबाग अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
8.	श्री भुवन चन्द्र जोशी	व०स०	रा०इ०का० कठपुडिया अल्मोड़ा	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
9.	श्री दिनेश प्रकाश	व०स०	रा०उ०मा०वि० खुनोलिया अल्मोड़ा	रा०उ०मा०वि० बसाई उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
10.	श्री महेन्द्र सिंह	व०स०	रा०इ०का० झड़गांव अल्मोड़ा	रा०इ०का० क्यारी नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

11.	श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय	व0स0	रा0उ0मा0वि0धाराकौली पिथौरागढ़	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी बेरीनाग पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
12.	श्री राजेन्द्र सिंह	व0स0	रा0उ0मा0वि0 महतगांव अल्मोड़ा	उ0वि0शि0परि0 रामनगर नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
13.	श्री जगत सिंह	व0स0	रा0उ0मा0वि0 चचरोटी अल्मोड़ा	रा0क0उ0मा0वि0 नगला उधमसिंहनगर	रिक्त पद के प्रति
14.	श्री दर्शन सिंह	व0स0	रा0उ0मा0वि0 लोद अल्मोड़ा	उ0वि0शि0परि0 रामनगर नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
15.	श्री देवेन्द्र सिंह रजवार	व0स0	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी स्याल्दे अल्मोड़ा	कार्यालय उपशिक्षा अधिकारी भीमताल नैनीताल	रिक्त पद के प्रति

श सं
3)/2017
के पत्र
1 कनिष्ठ
दी गयी
जाता है।
करते हुए
अनुमन्य

(अजय कुमार नौडियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

निजी
ते
पर)

पृ सं0/सेवाएँ अराज0-3ख(4)07-दो / 2508-18 / 2022-23 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- 3- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त कुमायूं मण्डल।
- 5- निदेशक प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायूं मण्डल।
- 9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10-एम0आई0एस0 प्रमारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 11- सम्बन्धित कर्मचारी
- 12- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0 शि0
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ४५

/२०२२-२३ दिनांक-१३ जुलाई, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० १२ XXXVI(३)/२०१८/२०(१०)/२०१७ दिनांक ०५ जनवरी २०१८, शासनादेश सं० १९५/XXIV/नवसृजित /२०१९ -३१ (०१)/२०१८ दिनांक १६ अप्रैल, २०१९, शासन का पत्र सं०/१२४/ XXX(२)-२२ ३०(१३)/२०१७ दिनांक ०८ अप्रैल, २०२२ एवं निदेशालय के पत्रांक/६६८-७५/२०२२-२३ दिनांक ११ अप्रैल, २०२२ एवं शासन के पत्र सं०/४६२८२/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-२ दिनांक ३०-६-२०२२ द्वारा दिये गये निर्देशों के कम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान २१७००-६९१०० लेबल-३ को उसी पद एवं वेतनमान में पारस्परिक स्थानान्तरण धारा १८ के उपधारा ३ में दी गयी व्यवस्था अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-५ में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २२ में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

01	02	03	04	05	06
1	श्री पूरन सिंह	क०स०	रा०इ०का० रा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	रा०इ०का०रीटाखाल चम्पावत	२ के प्रति (निजी व्यय पर)
2	श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा	क०स०	रा०इ०का०रीटाखाल चम्पावत	रा०इ०का० रा०इ०का० खेतीखान चम्पावत	१ के प्रति (निजी व्यय पर)

(अजय कुमार चौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल।

पृ० सं०/सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ २५१९-२९ /२०२२-२३ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- १- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- ३- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ४- आयुक्त कुमायू मण्डल।
- ५- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- ६- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- ७- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- ८- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायू मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ८- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।

9- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10-एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।

11- सम्बन्धित कर्मचारी

12- आदेश सुरक्षित पंजिका।


मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

कार्यालय मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०) कुमायू मण्डल नैनीताल ।

आदेश सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ ८६

/२०२२-२३ दिनांक जुलाई, २०२२

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधिनियम सं० १२ XXXVI(३)/२०१८/२०(१०)/२०१७ दिनांक ०५ जनवरी २०१८, शासनादेश सं० १९५/XXIV/नवसूजित /२०१९ -३१ (०१)/२०१८ दिनांक १६ अप्रैल, २०१९, शासन का पत्र सं०/१२४/ XXX(२)-२२ ३०(१३)/२०१७ दिनांक ०८ अप्रैल, २०२२ एवं निदेशालय के पत्रांक/६६८-७५/२०२२-२३ दिनांक ११ अप्रैल, २०२२ एवं शासन के पत्र सं०/४६२८२/कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-२ दिनांक ३०-६-२०२२ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम तत्काल प्रभाव से निम्नांकित कनिष्ठ सहायक वेतनमान २९२००-९२३०० लेबल-५ को उसी पद एवं वेतनमान में पारस्परिक स्थानान्तरण धारा १८ के उपधारा ३ में दी गयी व्यवस्था अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-५ में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा २२ में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य अवकाश का उपभोग नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
०१	०२	०३	०४	०५	०६
०१	श्रीमती गीता नेगी	व०स०	रा०उ०मा०वि०टुकनोली अल्मोडा	रा०इ०का०झडगांव अल्मोडा	क्रमांक ०२ के प्रति
०२	श्री महेन्द्र सिंह	व०स०	रा०इ०का०झडगांव अल्मोडा	रा०उ०मा०वि०टुकनोली अल्मोडा	क्रमांक ०१ के प्रति

(अजय कुमार नौडियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल।

पृ० सं०/ सेवाएँ अराज०-३ख(४)०७-दो/ २५३०-३९ /२०२२-२३ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।
- ३- सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ४- आयुक्त कुमायू मण्डल।
- ५- निदेशक प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
- ६- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- ७- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- ८- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० कुमायू मण्डल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्मिक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ८- सम्बन्धित खण्ड/उपशिक्षा अधिकारी कुमायू मण्डल।
- ९- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना उसी दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- १०- एम०आई०एस० प्रभारी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
- ११- सम्बन्धित कर्मचारी
- १२- आदेश सुरक्षित पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक प्रा० शि०

कुमायू मण्डल नैनीताल।